


वर्श्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023

वर्श्व प्रेस स्वतंत्रता दविस (World Press Freedom Day- WPF) प्रतवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। इस दविस के उपलक्ष्य **मैरिपोर्टरस वद्विउट बॉर्डर्स (RSF)** द्वारा **वर्श्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023** प्रकाशति कया गया।

- 180 देशों के इस सूचकांक में 36.62 अंक के साथ भारत **161वें स्थान पर है, वर्ष 2022 में भारत का रैंक 150 था।**



वर्श्व प्रेस स्वतंत्रता दविस:

परचिय:

- वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दविस की घोषणा वर्ष 1991 में **यूनेस्को** के आम सम्मेलन की सफारशि के बाद की गई थी।
- यह दविस वर्ष 1991 के वडिहोक घोषणा (यूनेस्को द्वारा अपनाया गया) को भी चहिनति करता है।
- प्रेस की स्वतंत्रता के महत्त्व, पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा और स्वतंत्र, मुक्त मीडिया को प्रोत्साहति करने के महत्त्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिये इस दविस का आयोजन कया जाता रहा है।

वर्ष 2023 की थीम:

- 'शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स: फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज़ अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स' ('Shaping a Future of Rights: Freedom of Expression as a Driver for All Other Human Rights')।

वशिव प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के प्रमुख बडि:

■ रैंकगि:

○ शीरष तथा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश:

- नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीरष 3 देश हैं ।
- इस सूची में वयितनाम, चीन और उत्तर कोरिया सबसे नचिले पायदान पर रहे ।

○ भारत के पड़ोसी:

- श्रीलंका ने भी 2022 के 146वें की तुलना में इस वर्ष सूचकांक रैंकगि में 135वें स्थान पर महत्त्वपूर्ण सुधार कया ।
- पाकस्तान 150वें स्थान पर है ।
- तीन अन्य देशों- ताजकिस्तान (1 स्थान नीचे 153वें पर), भारत (11 स्थान नीचे 161वें पर) और तुर्की (16 स्थान नीचे 165वें पर) में स्थिति 'समस्याप्रद' से 'काफी खराब' हो गई है ।

■ भारत का प्रदर्शन वशिलेषण:

- सूचकांक में भारत की स्थिति में वर्ष 2016 (जब यह 133वें स्थान पर था) के बाद से लगातार गरिावट आ रही है ।
- इस गरिावट का कारण पत्रकारों और राजनीतिक रूप से पक्षपाती मीडिया के खिलाफ बढ़ती हसिा है ।
- दूसरी घटना जो सूचना के मुक्त प्रवाह को खतरनाक रूप से प्रतबंधित करती है, वह है कुलीन वर्गों द्वारा मीडिया आउटलेट्स का अधग्रहण, जो राजनेताओं के साथ घनषिठ संबंध बनाए रखते हैं ।
- संगठन का दावा है कि भारत में कई पत्रकार अत्यधिक दबाव के कारण खुद को सेंसर करने के लयि मजबूर हैं ।

वशिव प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक:

■ परचिय:

- यह वर्ष 2002 से 'रिपोर्टरस सेन्स फ्रंटियर्स' (RSF) या 'रिपोर्टरस वडिाउट बॉर्डर्स' द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित कया जाता है ।

- पेरसि में स्थिति RSF संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद और फ्रैंकोफोनी के अंतरराष्ट्रीय संगठन (International Organisation of the Francophonie- OIF) के परामर्शी स्थितिके साथ एक स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठन है ।

- OIF, 54 फ्रेंच भाषी राष्ट्रों का एक समूह है ।

- सेंसरशिप, मीडिया स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में 180 देशों को उनके प्रेस की स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर रैंक प्रदान कया गया है । हालाँकि यह पत्रकारिता की गुणवत्ता का संकेतक नहीं है ।

■ स्कोरगि मानदंड:

- सूचकांक की रैंकगि 0 से 100 तक के स्कोर पर आधारित होती है जो प्रत्येक देश या क्षेत्र को प्रदान की जाती है, जसिमें 100 सर्वश्रेष्ठ संभव स्कोर (प्रेस स्वतंत्रता का उच्चतम संभव स्तर) और 0 सबसे खराब स्तर को प्रदर्शित करता है ।

■ मूल्यांकन मानदंड:

- प्रत्येक देश या क्षेत्र के स्कोर का मूल्यांकन पाँच प्रासंगिक संकेतकों का उपयोग करके कया जाता है, जनिमें राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढँचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा शामिल है ।

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में:

- संवधान का अनुच्छेद 19 भाषण और अभवियक्तकी स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो 'भाषण की स्वतंत्रता आदिके संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण' से संबंधित है ।
- अनुच्छेद 19 (1) (a): बोलने और अभवियक्तकी स्वतंत्रता, प्रत्येक नागरिक को भाषण, लेखन, मुद्रण, चतिर या कसिी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से वचिारों और वशिवासों को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करता है ।
- प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं है, लेकिन यह संवधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित है, जसिमें कहा गया है- "सभी नागरिकों को भाषण और अभवियक्तकी स्वतंत्रता का अधिकार होगा" ।
- वर्ष 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव है ।
- हालाँकि प्रेस की स्वतंत्रता भी पूर्ण नहीं है । यह अनुच्छेद 19(2) के तहत कुछ प्रतबंधों का सामना करती है, जो इस प्रकार हैं-

- भारत की संप्रभुता और अखंडता के महत्त्व से संबंधित मामले, राज्य की सुरक्षा, वदिशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक

व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिये उकसाने के संबंध में ।

स्रोत: द द्रिष्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/world-press-freedom-index-2023>

